बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संचिका सं०–9/आ0–7–06/2008

संकल्प

डा0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहेड़ी, दरभंगा सम्प्रति निलंबित को मुख्यालय क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमण्डल पूर्णियां को विभागीय अधिसूचना सं0 138(9) दिनांक 20.2.14 के द्वारा तत्कालीन प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया तथा विभागीय संख्या 1077(9) दिनांक 14.9.2010 एवं संशोधित संकल्प सं0 979(9) दिनांक 20.10.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम को विभागीय पत्रांक 171(9) दिनांक 25.2.14 एवं 288(9) दिनांक 9.4.14 द्वारा कारणपृच्छा की गई।

3. डा0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध साक्ष्यों एवं कारणपृच्छा के प्रत्युतर में उनसे प्राप्त बचाव बयान की समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते है :–

(i.) डा0 सिन्हा द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उसके भविष्य निधि से अग्रिम का भुगतान करने हेतु रिश्वत की मांग की गई एवं रिश्वत की राशि 2500/– (दो हजार पॉच सौ रूपये) आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त की गई जो उनके **द्वारा पहने गये पैंट की वायी जेब से बरामद हुई।**

(ii.) रिश्वत के प्रलोभन में डा0 सिन्हा के द्वारा अपने वैधिक दायित्वों के निर्वहन में टाल–मटोल किया गया, ताकि उन्हें रिश्वत की राशि प्राप्त हो सके, जो घोर कदाचार का परिचायक है।

(iii.) डा0 सिन्हा से प्राप्त बचाव बयान की समीक्षोपरान्त पाया गया कि गठित आरोप के विरूद्ध कोई उत्तर न देकर ट्रैप के गड़बड़ी को इंगित करते हुए विषय को विषयान्तर करते हुए कतिपय भिन्न कागजात की मांग की गई तथा गठित आरोप का प्रतिकार नहीं कर, विषयान्तर करना, इस बात को विश्वास करने का कारण बन जाता है कि प्रक्रियात्मक बिन्दुओं पर अप्रासंगिक तर्को के आधार पर विभागीय कार्यवाही को लंबित रखने की उनकी मंशा थी तथा मामले का अनावश्यक रूप से टाल–मटोल करने का निरर्थक प्रयास करते रहे। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम (जॉच प्रतिवेदन) में आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया है।

4. डा0 सिन्हा के विरूद्ध अनुबंध में गठित आरोप पूर्णतया प्रमाणित होते है। उन्होने रिश्वत की मांग की, उनसे रिश्वत की राशि प्राप्त हुई, रिश्वत के प्रलोभन में अपने वैधिक दायित्वों का पालन लंबित रखा, जिसके लिए वे भ्रष्ट आचरण एवं घोर कदाचार के दोषी हैं।

5. उपर्युक्त तथ्यों के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेड़ी दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।

6. डा0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेड़ी, दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां को बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति तथा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। डा0 प्रसाद को निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 221 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 25/02/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/दरभंगा/सिविल सर्जन पूर्णियां/दरभंगा/जिला पदाधिकरी, पूर्णियां/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1684 दिनांक 29.09.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहेड़ी, दरभंगा सम्प्रति निलंबित को मुख्यालय क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमण्डल पूर्णियां /दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx